



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245325
CG-DL-E-22042023-245325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1742]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1742]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1824(अ).— केन्द्रीय सरकार द्वारा, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5436 (अ), दिनांक 21 नवम्बर 2022, भारत के राजपत्र सं० 5207 दिनांक 23 नवम्बर 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील-केराकत, जिला- जौनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 27 दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और श्री राकेश कुमार, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : जौनपुर		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर-	एयर-	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
केराकत	परसौड़ी	120	00	01	10
		121	00	03	02
		122	00	00	11
		186	00	00	07
केराकत	बरइछ	256	00	00	59
		254	00	01	21
केराकत	मढी	1342	00	02	41
		496	00	06	18
		548	00	00	79
		588	00	01	51
		1389	00	01	46
		178	00	00	11
केराकत	हिसामपुर	500	00	01	80
		499	00	03	14
		467	00	00	67
		470	00	00	96
		79	00	00	39
		81	00	00	91
केराकत	बोदरी	348	00	03	58
		169	00	01	28
केराकत	तरांव	1657	00	02	10

		1658	00	00	58
		1665	00	00	34
		1641	00	01	20
		1614	00	00	46
केराकत	करनेहुवाउचेंहुआ	993	00	00	68
		992	00	00	68
		935	00	01	76
		928	00	02	74

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I-भाग(1)/ई-45874]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1824(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 5436 (E) Dated 21 Nov 2022 published in the Gazette of the India Gazette No. 5207 dated 23 Nov 2022 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline” for transportation of LPG in tehsil-Kerakat District-Jaunpur in the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27 December 2022 and whereas the Shri Rakesh Kumar, Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Jaunpur		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Kerakat	Parsaudi	120	00	01	10
		121	00	03	02
		122	00	00	11
		186	00	00	07

Kerakat	Baraichh	256	00	00	59
		254	00	01	21
Kerakat	Madhi	1342	00	02	41
		496	00	06	18
		548	00	00	79
		588	00	01	51
		1389	00	01	46
Kerakat	Hisampur	178	00	00	11
		500	00	01	80
		499	00	03	14
		467	00	00	67
		470	00	00	96
		79	00	00	39
		81	00	00	91
Kerakat	Bodari	348	00	03	58
		169	00	01	28
Kerakat	Tarav	1657	00	02	10
		1658	00	00	58
		1665	00	00	34
		1641	00	01	20
		1614	00	00	46
Kerakat	KarnehuaUchehua	993	00	00	68
		992	00	00	68
		935	00	01	76
		928	00	02	74

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1)/E-45874]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.